

राजस्थान विश्वविद्यालय  
जयपुर

क्रमांक :- ले.वि./2023/

दिनांक :

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या ले.वि./2018/324 दिनांक 23.10.2018 द्वारा वित्तीय लने देने में पारदर्शिता के क्रम में सभी सम्बन्धित को सूचित किया गया था कि टुकड़ों/फुटकर में (विशेष परिस्थितियों में ही) उपापन के विरुद्ध अथवा अन्य भुगतान नकद के रूप में राशि रु. 500/- तक ही अनुमत होंगे। इससे अधिक के भुगतान विक्रेता को उसके बैंक खाते में NEFT के माध्यम से किये जायेंगे।

विभिन्न विभागों के लेखों की जांच में पाया गया है कि विभागों द्वारा टुकड़ों में उपापन कर अभी भी रु. 500/- से अधिक के भुगतान नकद के रूप में किये जा रहे हैं। यह कृत्य वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है तथा ऐसे भुगतान संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

अतः सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि रु. 500/- से अधिक के नकद भुगतान तुरन्त बन्दे किये जावें तथा टुकड़ों के रूप में रु. 500/- से कम की उपापन बार-बार नहीं की जावे। आवश्यकतानुसार उपापन का आंकलन कर भुगतान विक्रेता के बैंक खाते में ही किये जाने की कार्यवाही की जाये।

८०

(रामसुख जाटोलिया)  
वित्त नियंत्रक एवं  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :- ले.वि./2023/1869-1949

दिनांक : 24/5/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को अग्रप्रेषित है :-

1. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राज.वि.वि., जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष शैक्षणिक/अशैक्षणिक विभाग, राज.वि.वि., जयपुर।
3. समस्त निदेशक, पी.जी.स्कूल्स/वि.वि.केन्द्र, राज.वि.वि., जयपुर।
4. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राज.वि.वि. को भेजकर अनुरोध है कि इस परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करावें।
5. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/इन्चार्ज, स्टोर्सर/अनुभागाधिकारी, राज.वि. वि., जयपुर।
6. निजी सचिव, कुलपति, राज.वि.वि., जयपुर।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
8. निजी सचिव, वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राज.वि.वि., जयपुर।

Rg/1766  
23/05/23  
(राजकुमार जैन)  
उप-कुलसचिव  
(लेखा एवं वित्त)